न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 17/2025

GCMS No. : 2025/123

प्रार्थी

मनोज कुमार सिन्हा खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे अजमेर मण्डल

बनाम

अप्रार्थीगण

1. Sh. Pradeep Kumar s/o Daulat ram vandor Sweet Namkeen Trolley No. 1 M/S Narsinghlal Agarwal Pf 2/3 Railway Station Marwar Jn. (Home Address Bhato Ka Mohalla Marwar Jn Dist Pali 306001) – खाद्य कारोबारकर्ता/वेंडर
2. M/S Narsinghlal Agarwal PF 2/3 Railway Station Marwar Jn Home Address 1073 Satyanarayan Madir Ke Pass Marwar Jn Dist Pali 306001- मैसर्स व लाईसेंसी
3. M/S Mahadev Agencies Hospital Road Marwar Jn Dist Pali 306001- वितरक/मैसर्स
4. Sh Himmta Ram Jat s/o KunnaRam Properitor M/S Mahadev Agencies Hospital Road-Marwar Jn, Dist. Pali 306001 Home Address 470 Hospital Road, Bhato Ka Bas Marwar Jn Hospital Road Marwar Jn 306001 -वितरक/प्रोपराईटर
5. M/S Bhangadiya Beveages Plot No. 06 Khasara No 24/3 Dhani Purohitan Khoda Ganeshji Road Madanganj Kishanganj Dist Ajmer 305801 Office Address Opp Dak Bangalow Near Radhasarveshwar Temple Ajmer Road Mandanganj Kishanganj Dist Ajmer 305801- निर्माता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

6. Sh Ashish Bhangadiya s/o Sh Gopal Bhangadiya M/s Bhangadiya Beveages Plot No 06 Khasara No 24/3 Dhani Purohitan Khoda Ganeshji Road, Madanganj Kisanganj Dist Ajmer 305801 Office Address- Opp Dak Bangalow Near radhasarveshwar Temple Ajmer Road Mandanganj Kishanganj Dist Ajmer 305801 Home Address 304 Model Town Parashiya Madanganj KishanGarh Dist Ajmer 305801- निर्माता/ पार्टनर–01
7. Sh Ankit Bhangadiya s/o Bhagchand Bhangadiya M/s Bhangadiya Beveages Plot No 06 Khasara No 24/3 Dhani Purohitan Khoda Ganeshji Road, Madanganj Kisanganj Dist Ajmer 305801 Office Address- Opp Dak Bangalow Near radhasarveshwar Temple Ajmer Road Mandanganj Kishanganj Dist Ajmer 305801 Home Address 304 Model Town Parashiya Madanganj KishanGarh Dist Ajmer 305801- निर्माता/ पार्टनर–02
8. Sh Rakesh Bhangadiya s/o Manakchand Bhangadiya M/s Bhangadiya Beveages Plot No 06 Khasara No 24/3 Dhani Purohitan Khoda Ganeshji Road, Madanganj Kisanganj Dist Ajmer 305801 Office Address- Opp Dak Bangalow Near radhasarveshwar Temple Ajmer Road Mandanganj Kishanganj Dist Ajmer 305801

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Home Address 304 Model Town Parashiya Madanganj KishanGarh Dist Ajmer 305801- निर्माता/ पार्टनर–02

''प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51''

उपस्थित :–

1. अप्रार्थी संख्या 4 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 10/06/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 8 ने पूर्व में जवाब पेश किया। प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 से 8 वक्त बहस अनुपस्थित होने प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना फाईल नम्बर 1(42) 2011/रेल्वे/एफ. एस.एस.ए.आई (पार्ट–I) रेल्वे एफएसएसएआई दिनांक 01.12.2015 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेल्वे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी दिनांक 13.04.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म Sweet namkein Trolly no 1 M/s Narshinghlal Agarwal PF 2/3 Railway Station Marwar Jn Home Address Bhato ka Mohalla Marwar Jn Dist Pali 306001 पर पहुंचा। जहा पर प्रदीप कुमार यात्रियों को खाद्य पदार्थ बेच रहा था, जिसे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। स्टॉल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्टॉल में Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) रखा पाया, जिसे प्रदीप कुमार यात्रियों को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर सरकारी जांच हेतु Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का नमुना लेने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने से साथ आये मनोजसिंह पुत्र श्री मांगीलाल समान्य सहायक अधीनस्थ खाद्य संरक्षा अधिकारी, अजमेर को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 240/– रूपये नकद प्रदीप कुमार को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रदीप कुमार, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्टॉल से खरीदशुदा Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं प्रदीप कुमार की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर प्रदीप कुमार गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं डी.ओ. का कोड एवं सिरियल नम्बर एनडब्ल्युआर–1225 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं प्रदीप कुमार व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को गोपाल आर पुत्र रघुनाथ समान्य सहायक अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ0 रेल्वे अजमेर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रदीप कुमार ने उक्त नमुने के संबंध में अग्रिम खरीद व संबंधित सप्लायर निर्माता आदि के संबंध में दस्तावेज मांगने पर खरीद बिल व संबंधित सप्लायर निर्माता से संबंधित दस्तावेज पेश करने में असमर्थता व्यक्त की। प्रदीप कुमार की दुकान से लिया गया नमुना संख्या एनडब्ल्युआर–1225 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/519/एक्ट/2024/541 दिनांक 24.04.2024 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का विक्रय/विनिमय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने लिखित जवाब के साथ शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 के प्रोपराईटर नरसिंगलाल पुत्र किशन अग्रवाल का देहान्त दिनांक 07.10.2024 को हो जाने के कारण अब में उनका पुत्र प्रदीप पुत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्थान) पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

नरसिंगलाल उक्त फर्म अप्रार्थी संख्या 02 का प्रोपराईटर हुं जिसके संबंध में समस्त जवाबदारी मेरी है।

अप्रार्थी संख्या 4 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा लिया गया Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का नमुना में केवल टीडीएस की मात्रा ही कम है, जो कि आमजन स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। इसलिये नम्रता का रूख अपनाते हुये प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावे।

अप्रार्थीगण संख्या 5 से 8 ने संयुक्तरूप से अपना लिखित जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का नमुना खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के अनुसार नहीं लिया गया है। एफएसएसआई के आर्डर दिनांक 12.03.2024 के अनुसार पानी के टीडीएस की मात्रा 75 से 500 होनी चाहिए, जो कि दिनांक 01.07.2024 से लागु की गई है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सख्यॉ 01 की फर्म से Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का सेम्पल दिनांक 13.04.2024 को लिया था जिस पर यह नियम लागु नहीं होता है। बीआईएस के अनुसार टीडीएस 0 से 500 ही निर्धारित की गई है। वर्तमान में Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) की टीडीएस की गुणवता में सुधार करते हुए वर्तमान में टीडीएस की मात्रा 105 कर दी गई है जो नियमों के अनुसार है। इसके अलावा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का नुमने की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमुना से आम जन के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पडता है, अतः अप्रार्थीगण के प्रति नम्रता का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फ़रमावें।

अप्रार्थी संख्या 4 की श्रवणसुदा एवं अप्रार्थीगण की लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नम्बर 5ए अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से मिलावट का सन्देह होने की स्थिति में Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय किया जाकर नियमानुसार उत्पाद पर नमूना कोड एवं क्रम संख्या एनडब्ल्युआर 1225 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का नमुना कोड संख्या एनडब्ल्युआर 1225 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना अवमानक स्तर (Sub-standrad) पाया गया। जिसकी एक प्रति अप्रार्थीगण को इस आशय से प्रेषित कि गई है वह उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट न हो तो वह रेफरेन्स प्रयोगशाला में पुनः नमूने की जांच करवाने हेतु स्वंतत्र है। जिससे एक माह से ज्यादा समय व्यतित हो जाने पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का पत्र व्यवहार या जवाब पेश नहीं किये जाने के उपरान्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश किया। चूकिं अप्रार्थीगण को प्रकरण न्यायालय में पेश करने से पूर्व जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद भी अपना जवाब पेश नही किया। प्रार्थी द्वारा उक्त नमूना दिनांक 13.04.2024 को Food Safety and Standards Authority of India द्वारा जारी निर्देश दिनांक 12.03.2024 के तहत लिया है। अप्रार्थी FSSAI द्वारा जारी निर्देश दिनांक 26.07.2024 को पेश कर उक्त प्रकरण को विधिविरूद्ध बता रहे है जबकि प्रार्थी द्वारा तत्समय प्रभावी नियमों एवं निर्देशों के तहत कार्रवाई की है, जो कि विधिसम्मत है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत की गयी है। खादय विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का टीडीएस मानक अनुसार 75 से 100 होना चाहिए लेकिन उक्त प्रोडक्ट में 55.00 पाया गया जो मानक के अनुरूप नहीं है। जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय/विनिमयन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-standrad) Packaged Drinking Water Gallons B No BB174 (01 Litter Original Sealed And Packed By The Company In 01 Pet Bottel) का उत्पादन/विक्रय/विनियमन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 03 व 04 पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 05 से 08 पर 1,70,000/– अक्षरे एक लाख सत्तर हजार रूपये कुल 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की सत्य प्रतिलिप सम्बन्धित को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 10/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली